अध्याय 6

अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता

सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के परिवार के पूर्णतया आश्रित सदस्यों की आर्थिक सहायता के लिए उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली स्थापित की गयी है । शासन के पत्र संख्या : बी-3-3065/ दस-2000-4(1)/ 86-अनु.नि., दिनांक 30 अगस्त,2000 के द्वारा प्रसारित उ0प्र0 अनुकम्पा निधि नियमावली संलग्नक-6 (1) पर संलग्न है ।

अनुकम्पा निधि नियमावली से आर्थिक सहायता के लिए मृत सरकारी सेवक का कम से कम एक वर्ष की सेवा पूर्ण करना तथा आनुतोषिक हेतु प्रार्थना पत्र कर्मचारी की मृत्यु के पॉच वर्ष में प्रस्तुत किया जाना आवष्यक है ।

इस नियमावली के नियम-7 एवं सपठित शासनादेश संख्या -बी-3790/ दस-2001-4 (1)/ 86-अनु.नि., दिनांक 18.10,2001 संलग्नक-6 (।।) के अनुसार देय अनुतोषिक की न्यूनतम धनराशि रू025,000.00 तथा अधिकतम धनराशि रू01,00,000 है । ठीक-ठीक धनराशि परिवार के रादरयों की रांख्या और गागलें की आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाती है । वर्तगान रागय गें मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूल वेतन के दो गुने के बराबर तथा अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10गुने के मूल वेतन के बराबर धनराशि नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अर्न्तगत स्वीकृत की जाती है ।

अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता के लिए (शासन के पत्र संख्या -बी-3-7178/ दस-96-4(1)/ 86-अनु.नि., दिनांक 20.03,1997 द्वारा प्रसारित) प्रार्थना पत्र का प्रारूप संलग्नक- 6 (।।।) पर संलग्न है । आश्रित परिवार द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रथम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना पूर्ण करके सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होता है । कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र के भाग-2 में अपेक्षित सूचना भर कर उसे शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किया जाना होता है । प्रशासनिक विभाग सभी सम्बन्धित अभिलेख तथा प्रार्थना पत्र के भाग-3 में अपनी संस्तुति सहित संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें मामले के पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेगें । तदुपरान्त वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करता है ।

प्रमुख सचिव,वित्त अथवा वित्त सचिव समिति के अध्यक्ष होते है । गृह,आवास,नगर विकास तथा राजस्व विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव (चार) सदस्य होगें तथा वित्त विभाग का कोई उपसचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा ।

संलग्नक– 6 (।)

संख्या : बी–3–3065/ दस–2000–4(।)/ 86–अनु0नि0

प्रेषक,

डा0 ब्रज मोहन जोशी,

सचिव,वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष ,जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त(आय–व्ययक)अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2000

विषय : सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता ।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक शासनादेश संख्या : बी–3–7178/ दस–96–4(1)/ 86–अनु.न., दिनांक 20.03,1997 जिसमें सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता विषयक संशोधित नियमावली तथा निर्धारित प्रार्थना–पत्र का प्रारूप आपको भेजा गया था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कदाचित अभी भी विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आर्थिक सहायता के विंषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है ।

अतः नियमावली की संशोधित प्रति पुनः प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया इससे सम्बन्धित नियमों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें तथा अपनी सुस्पष्ट पूर्ण आख्या / संस्तुति सहित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन के विचारार्थ निर्धारित समय के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

डा0 ब्रज मोहन जोशी,

सचिव, वित्त।

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली

उद्देश्य :- अनुकम्पा निधि का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के राजस्व से वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के उन परिवारों का सहायता करना है जो ऐसे व्यक्ति की, जिसपर वे पालन-पोषण के लिए निर्भर थें, असामयिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड़ गये है।

टिप्पणी :- इस नियम के प्रयोजनार्थ परिवार में मृत कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धियों में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेगें जो मृत्यु के समय उस पर पूर्णतया आश्रित थे - पत्नी, पति,वैध संतान, सौतेली संतान,पिता और माता । संतान की अधिकतम संख्या तक सीमित रहेगी । अविवाहित पुत्री तथा बेरोजगार पुत्र की दशा में अधिकतम आयु सीमा पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हता के अनुरूप 25वर्ष रहेगी । पत्नी को छोड़कर पति अथवा संतान के सेवायोजन की स्थिति में वे (पति/ संतान) आश्रित नहीं माने जायेगें । अतः उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त 25वर्ष से अधिक आयु के संतान भी मृतक आश्रित नही माने जायेगें ।

2- निधि की वार्षिक धनराशि :- निधि के वार्षिक अनुदान की अधिकतम धनराशि 80 लाख रूपये होगी । इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपर्युक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा ।

3- निधि का प्रशासन - सरकार ने इस निधि के प्रशासन एवं सरकार को परामर्श देने के लिए उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि समिति नामक एक समिति नियुक्त की है । प्रमुख सचिव, वित्त अथवा वित्त सचिव इस समिति के अध्यक्ष होगें तथा चार सदस्य और होगें जिनमें सरकार के गृह ,आवास, नगर विकास और राजस्व विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव होगें । वित्त विभाग का कोई उप सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा ।

4—निधि से आनुतोषिक हेतु पात्रता —जब तक अन्यथा कार्यवाही की न्यायोचित ठहराने वाली आपवादिक परिस्थितियाँ न हो तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिश साधारणतया स्वीकार नहीं करेगी जिनमें :-

(1) मृत कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सरकारी सेवा की हो, और

(2) आनुतोषिक हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कर्मचारी की मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात दिया गया हो ।

5- आनुतोषिक स्वीकृत की प्रक्रिया - मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा एक प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में उन कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा । जिसके अधीन मृत कर्मचारी अन्तिम समय कार्यरत रहा हों । परिवार द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रथम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराई जायेगी । कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष प्रार्थना पत्र के भाग 2 में अपेक्षित सूचना सावधानी पूर्वक भर कर प्रार्थना-पत्र शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेगें । नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करके प्रशासनिक विभाग सभी संबंधित अभिलेख तथा प्रार्थना-पत्र के भाग-3 में अपनी संस्तुति सहित संक्षिप्त टिप्पणी जिसमें मामले के पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेगें । वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा ।

6- समिति की बैठक -(1)समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर किसी एक वर्ष में कई बैठकें बुलाई जा सकती हैं ।

(2) समिति नियम-7 में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए निधि से आनुतोषिक प्रदान किये जाने के संबंध में प्रत्येक मामले में विचार करके अपनी संस्तुति सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

7- आनुतोषिक धनराशि -किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 25,000 रूपये तथा अधिकतम राशि 1,00,,000 रूपये होगी । ठीक-ठीक राशि सभी मामलों में परिवार के सदस्यो की संख्या और मामले की आवश्यकतानुसार निश्चित की जायेगी । साधारणतया दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पूर्व के प्रकरणों में मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूल वेतन के 5 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 25 माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि तथा दिनांक 01 जनवरी, 1996 के बाद के प्रकरण में पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के अन्तिम मूल वेतन के 2 गुने के बराबर और अधिकतम 5 आश्रित होने पर 10 गुने के मूल वेतन के बराबर धनराशि उपरोक्त नियमावली में निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गई हो तो निधि से नियमानुसार अनुमन्य सहायता की राशि में से उतनी धनराशि कम करके अन्तर की धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि अन्य फण्ड से स्वीकृति की गई है उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8- समिति की संस्तुतियों पर अग्रिम कार्यवाही - सरकार का वित्त विभाग समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगा और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आवश्यक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगा। आदेशों की प्रति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेखाकार को भी यथारीति भेजी जायेगी। प्रत्येक मामले में स्वीकृत धनराशि का प्रत्येक लाभार्थी के नाम अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट वित्त विभाग द्वारा बनवाकर सीधे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष बैंक ड्राफ्ट को संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराके उसकी पावती रसीद शीघ्रातिशीघ्र वित्त विभाग को उपलब्ध करा देंगे और इसकी सूचना विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक विभाग को भी भेजेंगे। बैक ड्राफ्ट भेजने की तिथि से एक माह के अन्दर यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित लाभार्थी से पावती रसीद प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो यह उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा कि वे संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा लाभार्थी को धन उपलब्ध कराकर पावती रसीद को वित्त विभाग को समय से न उपलब्ध करा पाने के कारणों की जानकारी प्राप्त करके विलम्ब के दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा कार्यालयाध्यक्ष से वांछित पावती रसीद यथाशीघ्र प्राप्त करके वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें।

9- आगणन की कार्यवाही - अनुकम्पा निधि से देय धनराशि का आगणन विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक द्वारा तथा शासन स्तर पर विभाग के आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

10- साधारण शर्ते - निधि से स्वीकृत किये जाने वाली अनुतोषिक की विनियात्मक शर्ते निम्नलिखित हैं :-

(1) अन्य बातों के रहते हुए ऐसे मामलों में वरीयता दी जानी चाहिए जिनमें मृत कर्मचारी कम वेतन पाते रहे हों।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी जिनकी मृत्यु कर्तव्य पालन करते हुए होती है और जिन्हे अलग से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान दूसरे विभागीय नियमों/ आदेशों में से, के मामलों में इस निधि से साधारणतया सहायता नहीं दी जायेगी।

(3) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामले तक सीमित रहते हैं।

(4) ऐसी मृत्यु जो कर्तव्य के प्रति निष्ठावन रहने के कारण हुई हो, अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किये जाने की मॉग बलवती हो जाती है।

(5) साधारण मामलों में उन कर्मचारियों/ अधिकारियों के परिवार को वरीयता दी जानी चाहिए जो अनेक वर्षो तक सेवा कर चुके है किन्तु अपनी पेंशन प्राप्त नहीं कर पाये है।

(6) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले पर जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है, निधि से सहायता देने के लिए विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु ऐसे आपवादिक मामलों में अनुदान दिये जा सकते है जिनमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति होने के छः माह के भीतर मृत्यु हो जाये और वह अपने परिवार के लिए व्यवस्था न कर सका हो परन्तु अनुदान अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दिये जायेंगे। उदाहरणार्थ ऐसे परिस्थितियों में जिनमें सरकारी कर्मचारी को रोगवश सेवा के अयोग्य करार दे दिया गया हो और व उसके बाद ही मर गया हो अपनी बीमारी के कारण अपने परिवार के लिए कोई व्यवस्था न कर सका हो तथा परिवार को निराश्रित छोड़ गया हो।

(7) इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उन कर्मचारियों/ अधिकारियों के परिवारों को बहुत अधिक अनुदान न दिये जायं जो सरकार के मुख्यालय में काम करते हों।

(8) निधि से कोई पेंशन न दी जाय।

(9) निधि से प्रत्येक मामले में एक से अधिक आनुतोषिक न दिया जाय।

(10) पुत्रियों के विवाह के लिए निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जायेगा।

संलग्नक–6 (ii)

संख्या बी–3–3790/ दस–2001–4(1)/ 86–अनु0नि0

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांकः 18 अक्टूबर, 2001

विषयः सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी–3–3065/ दस–2000 –4(1)/ 86– अनु0नि0, दिनांक 30 अगस्त, 2000 का कृपया संदर्भ में जिसके द्वारा नियमावली की संशोधित प्रति प्रेषित की गई थी।

2- उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-7 की पंक्ति किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 20,000/ - रूपये तथा अधिकतम राशि 75,000/ - रूपये होगी के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाय :- किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि रूपये 25,000/ - तथा अधिकतम राशि 1,00,000/ - रूपये होगी।

3- शासनादेश दिनांक 30-08-2000 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् रहेगी यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,
डा0 बी0 एम0 जोशी,
सचिव।

संलग्नक-6 (iii)

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि रो अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

भाग-1

आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

1- मृत राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद नाम :

2- कार्यालय का पता जहॉ मृत्यु के समय वह कार्यरत था :

3- मृत्यु का कारण :

4- मृत्यु की तारीख :

आवेदक के सम्बन्ध के विवरण।

5- आवेदक का पूरा नाम तथा मृतक से सम्बन्ध में :

6- निवास स्थान का पूरा पता :

(क) स्थायी :

(ख) पत्र-व्यवहार का पता :

7- आवेदक के पहचान के चिन्ह :

8- आवेदक का वर्तमान धन्धा एवं मासिक आय :

तथा परिवार की आर्थिक स्थिति :

9- मृतक द्वारा छोड़ी गयी चल/ अचल सम्पत्ति तथा उससे सम्भावित वार्षिक आय :

10- मृतक ने यदि कोई व्यक्तिगत बीमा कराया था :

तो उसकी धनराशि तथा प्राप्ति की तिथि/ स्थिति :

11- उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से प्रार्थित अनुदान की राशि :

12- भुगतान का स्थान :

13- मृत कर्मचारी के आश्रितों की संख्या तथा विवरण :

क्र0सं0	नाम	आयु	मृत कर्मचारी से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			

14- यदि पुत्र एवं पुत्रियां अध्ययनरत हों तो उसके विवरण :-

क्र0सं0	नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम जहाँ अध्ययनरत हो
1.			
2.			

दिनांक 200 ई0 आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं--------पत्नी/ पति/ माता/ पिता/ पुत्र/ पुत्री श्र0 श्री/ श्रीमती--------यह प्रमाणित करता/ करती हूँ कि जो विवरण ऊपर दिये गये है, मेरी जानकारी में वे सही हैं। यदि प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों में कोई तथ्य गलत पाया जाय तो उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से

आर्थिक सहायता स्वीकार होने की दशा में उसकी पूर्ण धनराशि एक मुश्त मुझसे स्थायी अथवा अस्थायी सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है।

दिनांक-----20-- ई0 आवेदक के हस्ताक्षर

भाग–2

कार्यालय/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

1- मृत राज्य कर्मचारी का पूरा नाम तथा पदनाम

2- मृत्यु के समय का मूल वेतन

3- सेवा के अवधि वर्ष ----माह ------दिन------

4- स्थायी अथवा अस्थायी

5- मृतक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि-अंषदायी (कण्ट्रीब्यूटरी) भविष्य निधि में जमा वास्तविक / अनुमानित भुगतान की स्थिति ।

6- मृतक के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना (डिपाजिट लिंक्ड इन्श्योरेन्स) स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त/ प्राप्य वास्तविक/ अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति।

7- मृतक के परिवार को प्रस्तावित/ स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति

8- मृतक के परिवार को अनुमन्य मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक की वास्तविक/ अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति ।

9- मृतक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश, अवकाश : के नकदीकरण से प्राप्त/ प्राप्य वास्तविक/ अनुमानित धनराशि तथा उनके भुगतान की स्थिति ।

10- मृतक के परिवार को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त/ प्राप्य धनराशि व भुगतान की स्थिति ।

11- मृतक के परिवार को यदि वैभागिक परोपकारी कोष से : सहायता स्वीकृत की गई हो या स्वीकृत होने की आशा हो तो उसका पूर्ण विवरण।

12- मृतक ने यदि अपने सेवाकाल के दौरान कोई राजकीय ऋण/ अग्रिम लिया हो तो ब्याज सहित उसकी वसूली की स्थिति

13- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन यदि मृतक के किसी आश्रित को सरकारी सेवा में लिया गया हो उसका पूर्ण विवरण एवं उसकी मासिक परिलब्धियाँ, यदि नहीं, तो क्यों ।

14- प्रस्तावित अनुदान की राशि---------

संस्तुति करने वाले पदाधिकारी की संस्तुति------

दिनांक 20..... संस्तुति करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर और पद नाम

प्रति हस्ताक्षरित

दिनांक 20..... विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पद नाम

टिप्पणी (क) प्रार्थना-पत्र के प्रत्येक कालम में अपेक्षित सूचना भरी जाय। कालम-5 से 10 में अपेक्षित धनराशि का भुगतान यदि प्रार्थना-पत्र के अग्रसारण के दिनांक तक न हुआ हो तो भुगतान में विलम्ब के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करते भुगतान होने वाले अनुमानित धनराशि का उल्लेख कर दिया।

(ख) यदि तालिका में उपलब्ध स्थान वांछित सूचना के लिए अपर्याप्त हो तो वांछित विवरण अलग से संलग्न कर दिया जाय।

(ग) अनावश्यक शब्द काट दिये जॉय।

भाग–3

(प्रशासनिक विभाग की संस्तुति)

शासन का यह विभाग----------(विभागाध्यक्ष) की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए समुचित विचारोपरान्त स्वर्गीय श्री----------के परिवार को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से केवल रूपये----------की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के औचित्य से सहमत है और तद्नुसार सहायता की संस्तुति करता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके परिवार को सहायता देने के लिए इस विभाग के अधीन कोई और विभागीय निधि नहीं है। ----------निधि है जिसमें स्वर्गीय श्री----------के परिवार की----------रूपये की सहायता स्वीकृत कर दी गई है/ स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है।

( )

प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

----------विभाग

दिनांक .....20..... संस्तुति करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर आदि पदनाम

प्रति हस्ताक्षरित

दिनांक .....20..... विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदनाम

टिप्पणी (क) प्रार्थना-पत्र के प्रत्येक कालम में अपेक्षित सूचना भरी जाय। कालम-5 से 10 में अपेक्षित धनराशि का भुगतान यदि प्रार्थना-पत्र के अग्रसारण के दिनांक तक न हुआ हो तो भुगतान में विलम्ब के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए भुगतान होने वाले अनुमानित धनराशि का उल्लेख कर दिया ।

(ख) यदि तालिका गें उपलब्ध रथान वांछित रूचना के लिए अपर्याप्त हो तो वांछित विवरण अलग से संलग्न कर दिया जाय।

(ग) अनावश्यक शब्द काट दिये जॉय ।